



मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं०-0522-2304363

फोन नं०-0522-2308501, 2307093, 2307094

ई मेल-lkomdm@gmail.com

Website : www.upmdm.org

पत्रांक: म०भो०प्रा०/८-५७३९/२०११-१२

दिनांक २६-१२-२०११

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय: नगर निगम/नगर पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में नगर क्षेत्र में योजना संचालन के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन नगर क्षेत्र में पार्षदों/सभासदों द्वारा किये जाने की स्थिति में तत्सम्बन्धी बचत बैंक खाते का संचालन पार्षद/सभासद एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षरों से किये जाने का प्राविधान है।

चूँकि नगर निगमों एवं नगर पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, अस्तु नगर निगमों एवं नगर पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में उनके पुर्नगठन होने तक योजना क्रियान्वयन सम्बन्धी बचत बैंक खातों का संचालन निम्न व्यवस्था के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय:-

1. जिन विद्यालयों में योजना का क्रियान्वयन नगर क्षेत्र/नगर पंचायत द्वारा किया जा रहा था उन विद्यालयों से सम्बन्धित बचत बैंक खाते का संचालन अधिशासी अधिकारी एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाए।
2. जिन विद्यालयों में योजना का क्रियान्वयन नगर निगम द्वारा किया जा रहा था उन विद्यालयों से सम्बन्धित बचत बैंक खाते का संचालन निगम के संबंधित क्षेत्र के ज़ोनल अधिकारी एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाए।

भवदीय,

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०), उ०प्र०।
3. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०।
4. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
5. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, उ०प्र०।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
निदेशक



मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०

तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं०-0522-2304363

फोन नं०-0522-2308501, 2307093, 2307094

ई मेल-lkomdm@gmail.com

Website : www.upmdm.org

पत्रांक: म०भो०प्रा०/८-५३३१/२०११-१२

दिनांक २६-१२-२०११

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय: नगर निगम/नगर पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में नगर क्षेत्र में योजना संचालन के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन नगर क्षेत्र में पार्षदों/सभासदों द्वारा किये जाने की स्थिति में तत्सम्बन्धी बचत बैंक खाते का संचालन पार्षद/सभासद एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षरों से किये जाने का प्राविधान है।

चूँकि नगर निगमों एवं नगर पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, अस्तु नगर निगमों एवं नगर पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में उनके पुर्नगठन होने तक योजना क्रियान्वयन सम्बन्धी बचत बैंक खातों का संचालन निम्न व्यवस्था के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाय:-

1. जिन विद्यालयों में योजना का क्रियान्वयन नगर क्षेत्र/नगर पंचायत द्वारा किया जा रहा था उन विद्यालयों से सम्बन्धित बचत बैंक खाते का संचालन अधिशासी अधिकारी एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाए।
2. जिन विद्यालयों में योजना का क्रियान्वयन नगर निगम द्वारा किया जा रहा था उन विद्यालयों से सम्बन्धित बचत बैंक खाते का संचालन निगम के संबंधित क्षेत्र के ज़ोनल अधिकारी एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाए।

भवदीय,

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०), उ०प्र०।
3. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०।
4. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
5. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, उ०प्र०।

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
निदेशक